[illegible]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आश्विन, 1905 (श०)

(सं० पटना 1034) पटना, शुक्रवार, 30 सितम्बर 1983

वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 1983

एस०ओ० 1161—वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1 1 (अधिसूचना सं० 14, 1981) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राज्य सरकार जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु गठित राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :—

अध्याय 1

प्रारंभिक ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1983 कहलाएगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएं।—जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ;

(ख) "अपीलार्थी" से अभिप्रेत है वैसा व्यक्ति, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य बोर्ड के आदेश से व्यथित होकर उसके विरुद्ध अपील करे ;

(ग) "अपील-प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन बिहार राज्य सरकार द्वारा गठित "अपील-प्राधिकार" ;

(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन गठित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु गठित राज्य बोर्ड ;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य बोर्ड का अध्यक्ष ;

(च) "केन्द्रीय बोर्ड" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु गठित केन्द्रीय बोर्ड ;

(छ) "परामर्शी" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सेवा, चाहे तकनीकी हो या अन्य प्रकार की, अध्यक्ष इस बोर्ड के कार्य-संचालन के लिये प्राप्त करे ;

(ज) "उत्सर्जन (एमिशन)" से अभिप्रेत है चिमनी, वाहिनी (डक्ट) या धूम्रवाहिका (फ्लू) या अन्य निकास-स्रोत से निकलनेवाला कोई ठोस या द्रव या गैसीय पदार्थ ;

(झ) "फारम" से अभिप्रेत है अनुसूची 1 में दिया गया फारम ;

(ञ) "भट्ठी (फर्नेस)" से अभिप्रेत है ऐसी कोई संरचना (स्ट्रक्चर) या प्रतिष्ठापन, जहां किसी भी रूप या प्रकार का ईंधन जलाया जाता हो या किसी अन्य प्रकार से उच्च तापमान बनाया रखा जाता हो ;

(ट) "औद्योगिक संयंत्र" से अभिप्रेत है वैसा कोई संयंत्र जिसका प्रयोग किसी औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजन के लिये किया जाता हो तथा जिससे वायुमंडल को प्रदूषित करनेवाला कोई पदार्थ निकलता हो ;

(ठ) "सदस्य" से अभिप्रेत है राज्य बोर्ड का कोई सदस्य और इसमें उसका अध्यक्ष भी शामिल है ;

(ड) "सदस्य-सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य-सचिव ;

(ढ) किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "अधिभोगी (दखलकार)" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कारखाने या परिसरों के कार्यों पर नियंत्रण हो और जहां उक्त कार्य किसी प्रबंधक अभिकर्त्ता को सौंपा गया हो वहां ऐसा अभिकर्त्ता कारखाने या परिसरों का अभिभोगी समझा जायगा ;

(ण) "परिसर" से अभिप्रेत है ऐसी कोई भवन संरचना या संपत्ति, जिसका उपयोग वैसे औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजनों के लिये किया जाता हो जहां प्रदूषण होता हो ;

(त) "राज्य वायु प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है ऐसा कोई प्रयोगशाला, जो धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित या इस रूप में विनिर्दिष्ट हो ;

(थ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ;

(द) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(ध) "राज्य बोर्ड प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है ऐसी कोई प्रयोगशाला जो धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित या इस रूप में मान्यता प्राप्त हो ; और

(न) "वर्ष" से अभिप्रेत है 1 अप्रील से प्रारम्भ होनेवाला वित्त वर्ष ।

अध्याय 2

राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं बंधेज ।

3. धारा 7 की उप-धारा (7) के अधीन अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और अन्य सेवा-शर्तें ।—(1) अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रति मास वही राशि देय होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(2) अध्यक्ष की अन्य सेवा-शर्त्तें एवं बंधेज, जिनके अन्तर्गत उसे भुगतेय भत्ते भी हैं, वे ही होंगे जो उसके नियुक्ति-आदेश में विनिर्दिष्ट होंगे और यदि वे नियुक्ति-आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं होंगे तो ऐसी शर्त्तें और बंधेज, यथासंभव, वे ही होंगे जो राज्य सरकार के समान स्तर के पदाधिकारी के साथ लागू हो।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई सरकारी सेवक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाय, वहां उसकी सेवा-शर्त्तें एवं बंधेज वे ही होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

4. धारा 7 की उप-धारा (7) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की सेवा-शर्त्तें।—(1) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य पर्षद् या समिति की बैठक में भाग लेने के लिये प्रतिदिन 30 (तीस) रुपये की दर से या जैसा कि निर्धारित हो, फीस पाने के हकदार होंगे। यह उनके यात्रा खर्च के अतिरिक्त होगा, जो इस बोर्ड की श्रेणी 1 के पदाधिकारी को अनुमान्य है।

× 2 (2) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति कोई सरकारी सेवक अथवा किसी सरकारी उपक्रम में कर्मचारी हो, तो उसे उसी दर से यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा, जो उसपर लागू सुसंगत नियमों के अधीन उपबंधित है ;

परन्तु संसद/विधान-सभा के सदस्य की दशा में, जो इस बोर्ड का सदस्य भी हो, उक्त दैनिक और यात्रा-भत्ता तभी अनुमान्य होगा, जब संसद/विधान-सभा सत्र में नहीं हो। यात्रा-भत्ता के हकदार सदस्यों को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उसी यात्रा और विराम के लिये किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई ऐसा भत्ता प्राप्त नहीं किया है।

अध्याय 3

बोर्ड और इसकी समितियों के कार्य—संपादन की प्रक्रिया।

5. धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन बैठक की सूचना।—(1) बोर्ड की बैठक अध्यक्ष द्वारा यथानियत तारीख को की जायगी।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कम-से-कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा राज्य सरकार के निदेश पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलाएगा।

(3) सदस्य-सचिव/अध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों या अन्य पदाधिकारियों को साधारण बैठक की दशा में पूरे पन्द्रह दिनों की और विशेष बैठक की दशा में तीन दिनों की सूचना देगा, जिसमें बैठक का समय और स्थान तथा उसमें किये जाने वाले कार्य उल्लिखित रहेंगे।

× (2) उप-नियम (2) के जगह (1) होना चाहिए।

(4) सदस्यों को किसी बैठक की सूचना उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या कारवार-स्थल पर संदेशवाहक द्वारा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा ऐसे अन्य तरीके से दी जा सकेगी, जैसा मामले की परिस्थिति के अनुसार अध्यक्ष उपयुक्त समझे।

(5) कोई भी सदस्य बैठक के विचारार्थ ऐसा कोई विषय प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा जिसके बारे में उसने सदस्य-सचिव को पूरे दस दिन की सूचना नहीं दे दी हो, किन्तु अध्यक्ष अपने विवेक से उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा ;

(6) राज्य बोर्ड की बैठक किसी खास दिन या एक-एक दिन करके कई दिनों तक बोर्ड की अनुमति से स्थगित की जा सकेगी, किन्तु स्थगित बैठक के लिए फिर से सूचना देना अपेक्षित नहीं होगा।

(7) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि सूचना संबंधी इस नियम के उपबंध का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया गया है।

6. पीठासीन पदाधिकारी।—हरेक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

7. सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत द्वारा किया जायगा।—(1) बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायगा और प्रस्ताव के पक्ष में मत हाथ उठाकर दिया जायगा।

(2) मत के बराबर होने की दशा में पीठासीन पदाधिकारी दूसरा या निर्णायक मत देगा।

8. कोरम।—(1) किसी बैठक के लिये कोरम पांच सदस्यों का होगा।

(2) बैठक के लिये नियत किसी समय में या बैठक के दौरान किसी समय कोरम पूरा न हो तो पीठासीन पदाधिकारी बैठक स्थगित कर देगा और यदि ऐसे स्थगन के तीस मिनट के बाद भी कोरम पूरा न हो, तो पीठासीन पदाधिकारी बैठक को अगले दिन या अन्य दिन ऐसे समय के लिये स्थगित कर देगा, जो वह नियत करे।

(3) स्थगित बैठक के लिये कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(4) स्थगित बैठक में ऐसे किसी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा, जो प्रारम्भिक बैठक की कार्यसूची में शामिल नहीं था।

(5) स्थगित बैठक के लिये फिर से सूचना देना अपेक्षित नहीं होगा।

9. कार्यवृत्त।—(1) बैठक में उपस्थित होनेवाले सदस्यों के नाम और उस बैठक की कार्यवाही का अभिलेख एक पुस्त में रखा जायगा जो सदस्य-सचिव द्वारा उस प्रयोजनार्थ रखा जाएगा ।

(2) हरेक बैठक के प्रारम्भ में पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढा जाएगा और पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक में उसे सम्पुष्ट कर उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा ।

(3) कोई भी सदस्य कार्यालयकाल में बोर्ड के कार्यालय में कार्यवाही देख सकेगा ।

10. बैठक में व्यवस्था बनाए रखना।—पीठासीन पदाधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाए रखेगा ।

11. बैठक में किया जानेवाला कार्य।—बैठक में ऐसे किसी कार्य का संपादन जो कार्यसूची में नहीं हो या जिसके संबंध में नियम 5 के उप-नियम (5) के अधीन किसी सदस्य ने सूचना नहीं दी हो, पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

12. कार्य संपादन का क्रम।—(1) किसी भी बैठक में कार्य का संपादन उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में वह कार्य सूची में हो ।

(2) या तो बैठक के प्रारम्भ में या बैठक के दौरान प्रस्ताव पर बहस की समाप्ति के बाद, पीठासीन पदाधिकारी या कोई सदस्य कार्य-सूची में यथा-प्रविष्ट कार्यक्रम में परिवर्तन के लिये सुझाव दे सकेगा और यदि सदस्यगण सहमत हों तो ऐसा परिवर्तन किया जायेगा ।

13. धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समितियों के काय संपादन की प्रक्रिया।—(1) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समितियों की बैठक का समय और स्थान वही होगा जो समिति के संयोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन, धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी समिति की बैठक के कार्य संपादन के नियम और प्रक्रिया वही होगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) किसी भी सदस्य को ऐसी किसी बैठक में विचार विमर्श के दौरान किसी बात पर नियमापत्ति करने की स्वतंत्रता होगी और पीठासीन पदाधिकारी को उस प्रश्न पर निर्णय करने का अधिकार होगा । इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होगा ।

अध्याय 4

गैर-सदस्यों को दी जानेवाली फीस और भत्ते

14. धारा 11 की उप-धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड की समिति के वैसे सदस्यों को दी जानेवाली फीस और भत्ते जो बोर्ड के सदस्य नहीं है।—(1) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति का वैसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, समिति की प्रत्येक दिन की बैठक के लिये, जिसमें वह उपस्थित हो, राज्य बोर्ड द्वारा विहित फीस पाने का हकदार होगा। यह बोर्ड के श्रेणी 1 के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा-भत्ता के अतिरिक्त होगा।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक या किसी सरकारी उपक्रम का कर्मचारी हो, तो वह अपने पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन उपबंधित दर से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

अध्याय 5

केन्द्रीय बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन

15. धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ व्यक्तियों के सहयोजन की रीति और प्रयोजन।--बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह इसकी किसी बैठक के या इसके द्वारा गठित किसी समिति के बैठक के कार्य-संपादन के लिये उपयोगी जान पड़े।

16. धारा 12 की उप-धारा (3) के अधीन व्यक्तियों के ऐसे अस्थायी सहयोजन के लिये दी जानेवाली फीस और भत्ते।---(i) यदि उप-नियम (1) के अधीन बोर्ड से सहयुक्त व्यक्ति गैर-सरकारी व्यक्ति हो, तो वह बोर्ड की प्रत्येक दिन की बैठक के लिये, जिसके साथ वह इस प्रकार सहयुक्त हो, तथा बोर्ड के किसी कार्य हेतु प्रत्येक दिन के वास्तविक कार्य के लिये तीस रुपया या बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया फीस पाने का हकदार होगा। यह बोर्ड श्रेणी 1 के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा भत्ता के अतिरिक्त होगा।

(2) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक अथवा किसी सरकारी उपक्रम का कर्मचारी हो, तो वह अपने पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन उपबंधित दरों पर ही यात्रा और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।

अध्याय 6

राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव की सेवा शर्तें और बंधेज

17. धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य-सचिव का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें--(1) सदस्य सचिव राज्य सरकार के अधीक्षण अभियन्ता की कोटि से नीचे की श्रेणी के नहीं होंगे और इन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान में मासिक वेतन देय होगा ।

(2) सदस्य-सचिव की अन्य सेवा शर्तें और बंधेज, जिनमें उन्हें देय भत्ते भी शामिल हैं, यथाशक्य वह होंगे जो राज्य सरकार के तत्समान हैसियत की श्रेणी 1 के किसी पदाधिकारी के मामले में लागू हैं ।

(3) उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सदस्य-सचिव के रूप में कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त हो, तो उसकी सेवा शर्तें और बंधेज वही होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

अध्याय 7

सदस्य-सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य

18. धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्य-सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य--सदस्य सचिव अध्यक्ष का अधीनस्थ होगा और अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा -(1) सदस्य-सचिव बोर्ड के सभी गोपनीय कागज-पत्रों का प्रभारी होगा और उनके परिरक्षण के लिये जिम्मेवार होगा ।

(2) सदस्य-सचिव ऐसे कागज-पत्रों को, अध्यक्ष अथवा बोर्ड द्वारा ऐसा निर्देश मिलने पर प्रस्तुत करेगा ।

(3) सदस्य-सचिव बोर्ड के किसी सदस्य के अवलोकनार्थ बोर्ड का कोई अभिलेख उसे उपलब्ध करायेगा ।

(4) सदस्य-सचिव को बोर्ड के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवा और अध्ययनार्थ फाइलें, कागज-पत्र और दस्तावेज किसी भी समय मांगने का हक होगा और उस बोर्ड या उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित लेखा, वाउचरों, बिलों और अन्य अभिलेखों और भंडार (स्टोर) की जांच करने का हक होगा ।

(5) सदस्य-सचिव कोई भी भुगतान रोक सकेगा, परन्तु ऐसा भुगतान रोकने के बाद यथाशक्य शीघ्र ऐसे मामले को बोर्ड के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ रखा जाएगा ।

(6) सदस्य-सचिव बोर्ड की बैठकें तथा बोर्ड द्वारा गठित समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिये सभी प्रबंध करेगा ।

(7) बोर्ड द्वारा जारी किये जानेवाले सभी आदेशों या अनुदेशों पर सदस्य-सचिव का अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा ।

(8) पर्षद अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक होने पर अन्य पद सृजित कर सकेगा तथा किसी सृजित पद को समाप्त भी कर सकेगा:

परन्तु ऐसे पद के सृजन या उस पद पर नियुक्ति के लिये पर्षद राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति ले लेगा ।

(9) सदस्य-सचिव बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखेगा या लिखवाएगा तथा श्रेणी 1, 2 और 3 के पदाधिकारियों के मामले में उस पर अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करा लेगा। वह गोपनीय रिपोर्ट को ठीक से रखने और उसकी अभिरक्षा के लिये समुचित व्यवस्था करेगा ।

(10) सदस्य-सचिव पदाधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि स्वीकृत करेगा, किन्तु श्रेणी 1, 2, 3 के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि बिना अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के रोकी नहीं जाएगी ।

(11) सदस्य-सचिव को सभी प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूरी शक्ति होगी ।

(12) सदस्य-सचिव ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो उसे समय-समय पर या तो बोर्ड द्वारा या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जायें ।

अध्याय 8

परामर्शियों की नियुक्ति

19. धारा 14 की उप-धारा (5) के अधीन परामर्शियों की नियुक्ति—बोर्ड को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के प्रयोजनार्थ बोर्ड का अध्यक्ष अधिकतम 6 मास की विनिर्दिष्ट अवधि के लिये बोर्ड के परामर्शियों की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि समय-समय पर बढ़ा कर एक वर्ष तक कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये भी परामर्शी की नियुक्ति कर सकेगा ।

20. नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति—नियम 14 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परामर्शी की नियुक्ति होने पर भी, अध्यक्ष को परामर्शी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट अवधि बीतने के पूर्व ही रद्द करने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष की राय में ऐसा करना वांछनीय हो जाए।

21. परामर्शी की पारिश्रमिक—अध्यक्ष परामर्शी की योग्यता और उसके कार्य के स्वरूप को देखते हुए उसे उपयुक्त पारिश्रमिक या फीस दे सकेगा, किन्तु वह परामर्शी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा जिसका पारिश्रमिक या फीस 2000 रुपये से अधिक हो या प्रतिमास दो हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक देने के लिए अध्यक्ष को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

22. परामर्शी का दौरा—परामर्शी बोर्ड द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के सम्पादन के लिए देश के भीतर दौरा कर सकेगा और ऐसे दौरे के लिए वह राज्य सरकार की श्रेणी 1 के पदाधिकारी के रूप में यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा। तथापि, उसे अपना दौरा-कार्यक्रम अध्यक्ष या सदस्य-सचिव से पहले अनुमोदित करा लेना होगा।

23. परामर्शी जानकारी प्रकट नहीं करेगा—परामर्शी, बोर्ड की लिखित अनुमति के बिना, बोर्ड द्वारा दी गयी जानकारी अथवा बोर्ड द्वारा या अन्यथा सौंपे गए कर्तव्यों के सम्पादन के दौरान प्राप्त जानकारी बोर्ड से भिन्न किसी व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा।

24. परामर्शी के कर्तव्य और कृत्य—परामर्शी ऐसे कर्तव्यों का निर्वाहन और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जो उसे बोर्ड अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

अध्याय-9

राज्य बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन का फारम, उसके लिए भुगतेय फीस, वह अवधि जिसके भीतर ऐसा आवेदन दिया जाएगा और उसमें दिए जाने वाले ब्योरे।

25. धारा 21 के अधीन सहमति के लिए आवेदन—(1) धारा 21 के अधीन, वायुमंडल में उत्सर्जन (एनिशन) के लिए किसी नई या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाने के निमित्त अथवा चिमनी से होने वाले वर्तमान उत्सर्जन को जारी रखने के निमित बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के लिए बोर्ड के पास फारम 1 में आवेदन किया जाएगा।

(2) ऐसे आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस दी जाएगी।

(3) जिस आवेदन के साथ विहित फीस नहीं दी रहेगी वह बोर्ड द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) विहित फीस बोर्ड के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा चुकाई जाएगी, जैसाकि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 10

सहमति के लिए दिए गए आवेदन की जांच करने की प्रक्रिया:

26. धारा 21 की उप-धारा (3) के अधीन सहमति के लिए दिए गए आवेदन की जांच करने की प्रक्रिया--- (1) धारा 21 के अधीन सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर बोर्ड अपने किसी एक या एक से अधिक पदाधिकारी को यथावश्यक सहायकों के साथ आवेदन में उल्लिखित व्योरों की शुद्धता का या अन्य बातों का सत्यापन करने के लिए अथवा ऐसे और व्योरे या जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसा कि वह पदाधिकारी आवश्यक समझे, आवेदन से संबंधित और आवेदक या अधिभोगी के नियंत्रणाधीन किसी स्थान या परिसर में जाने और उसका निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। ऐसा पदाधिकारी या पदाधिकारीगण उसके प्रयोजनार्थ ऐसे स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकेगा जहां चिमनी से उत्सर्जन होता हो या उद्योग के परिसर के भीतर किसी ऐसे स्थान का, जहां अस्थायी उत्सर्जन होता हो, तथा उक्त परिसर में अधिष्ठापित किसी नियंत्रण यन्त्र का भी निरीक्षण कर सकेगा। ऐसा पदाधिकारी, उसके प्रयोजनार्थ आवेदन या अधिभोगी के नियंत्रणाधीन किसी स्थान या परिसर का भी निरीक्षण कर सकेगा और आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह नियंत्रण उपकरण या प्रणाली अथवा उसके किसी भाग से संबंधित ऐसे नक्शे विशेष विवरण या आंकड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करें जिन्हें वह पदाधिकारी आवश्यक समझता हो।

(2) ऐसा पदाधिकारी या पदाधिकारीगण उप-नियम (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवेदक के किसी परिसर में जाने के पूर्व ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना फारम 2 में आवेदक को देगा। आवेदक ऐसे पदाधिकारी को सभी जानकारी देगा और निरीक्षण करने में सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(3) बोर्ड का कोई पदाधिकारी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के पूर्व या बाद में, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष मौखिक या लिखित रूप में ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे अथवा उसके समक्ष ऐसी दस्तावेज पेश करें जैसा कि वह आवेदन की जांच-पड़ताल करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे, तथा इसके प्रयोजनार्थ वह आवेदक या उसके प्राधिकृत एजेन्ट को बोर्ड के कार्यालय में बुला सकेगा।

अध्याय 11

वह प्राधिकारी या एजेन्सी जिसे धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन जानकारी दी जाएगी।

27. अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिभोगी द्वारा जानकारी प्रस्तुत करना---ऐसे औद्योगिक संयंत्र (प्लान्ट) का प्रभारी पदाधिकार या

उस परिसर का अधिभोगी, जहां किसी प्रक्रिया का अधिष्ठापन में आकस्मिक खराबी होने से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन होने लगा हो या होने की संभावना हो, ऐसी घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना सभी या किसी एक बोर्ड, जिला कलक्टर, अनुमंडल मजिस्ट्रेट, निकटतम पुलिस प्राधिकारी तथा पंचायत, लोक-स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग को तुरत देगा।

अध्याय 12

वह रीति जिस रीति से धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन वायु या उत्सर्जन का नमूना लिया जाएगा।

28. धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन नमूना लेने की शक्ति की प्रक्रिया—(1) बोर्ड या इस निमित्त बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन किसी भी चिमनी, धुम्रांकश (फ्लू) या नलिका (डक्ट), संयंत्र (प्लान्ट) या वाहिका (वेसेल) या किसी अन्य स्रोत और निकास से, चाहे वह स्थिर या चलन्त हो, वायु या उत्सर्जन का नमूना लेने की शक्ति होगी। परिसर का अधिभोगी चिमनी धुम्रांकश (फ्लू) या नलिका (डक्ट) संयंत्र (प्लान्ट) या वाहिका (वेसेल) या किसी अन्य स्रोत और निकास से, चाहे वह स्थिर या चलन्त हो, वायु या उत्सर्जन का नमूना लेने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसा कि बोर्ड या उस निमित्त बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए परिसर का अधिभोगी नमूना लेने के स्थानों तक पहुँचने के लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा, जैसा कि बोर्ड या उस निमित्त बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) किसी चिमनी धुम्रांकश (फ्लू) या नलिका (डक्ट) संयंत्र (प्लान्ट) या वाहिका (वेसेल) या किसी अन्य स्रोत और निकास से चाहे वह स्थिर या चलन्त हो, वायु या उत्सर्जन का नमूना लेने के लिए काम में लाई गई प्रक्रिया, नमूना लेने के लिए प्रयुक्त उपकरण और वायु प्रदूषकों को मापने की पद्धति वही होगी जैसा कि स्थिति के अनुकूल बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 13

धारा 26 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट सूचना का फारम

29. धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन सूचना का फारम-धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन सूचना फारम (III) में दी जाएगी।

अध्याय 14

बोर्ड के विश्लेषक की रिपोर्ट

30. धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के विश्लेषक की रिपोर्ट का फारम—

जब बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए किसी वायु या उत्सर्जन का नमूना भेजा गया हो, तब धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करके ऐसे विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट फारम (IV) में तीन प्रतियों में, बोर्ड के समक्ष पेश करेगा।

अध्याय 15

राज्य वायु प्रयोगशाला

31. धारा 27 की उप-धारा (3) के अधीन और धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य बोर्ड प्रयोगशाला के कार्य-- राज्य वायु प्रयोगशाला, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी से विश्लेषण के प्रयोजनार्थ वायु या उत्सर्जन का नमूना प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण कराएगी, जिसका निष्कर्ष फारम (V) में, तीन प्रतियों में, अभिलिखित किया जाएगा।

32. रिपोर्ट के लिए फीस—प्रत्येक रिपोर्ट के लिए वही फीस होगी जैसा कि पर्षद द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय 16

सरकारी विश्लेषक के लिए अपेक्षित योग्यता

33. धारा 29 की उप-धारा (1) (2) के अधीन सरकारी/राज्य बोर्ड विश्लेषक की योग्यता—धारा 29 की उप-धारा (1) (2) के अधीन सरकारी/राज्य बोर्ड विश्लेषक की योग्यता निम्नलिखित होगी:—

पर्यावरण क्वालिटी प्रबंध (एनविरानमेंटल क्वालिटी मैनेजमेंट) में तीन वर्ष के अनुभव के साथ बेसिक साइंस/लाइफ साइंस/भू-विज्ञान (अर्थ साइंस) में कम-से-कम द्वितीय श्रेणी एम० एस०-सी०।

अध्याय 17

अपील

34. धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन अपील का ज्ञापन--(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध व्यथित पक्ष द्वारा--

(क) इससे उपाबद्ध फारम (VII) में फाइल की जाएगी:--

(2) अपील करने वाला प्रत्येक व्यथित व्यक्ति अपने नाम से अलग अपील करेगा और एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से की गई संयुक्त अपील अपील-आधिकार द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।

(3) (क) प्रत्येक अपील--

(*i*) लिखित रूप में होगी, और उसमें

(*ii*) अपीलार्थी का नाम और पता तथा उस आदेश की तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उल्लिखित रहेगी,

(*iii*) वह तारीख उल्लिखित रहेगी जिस तारीख को उस आदेश की संसूचना, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को दी गई,

(*iv*) केस के तथ्यों और उन आधारों का स्पष्ट विवरण दिया रहेगा जिनपर अपील के समर्थन में व्यथित व्यक्ति निर्भर करता हो,

(*v*) प्रार्थित राहत का ठीक-ठीक विवरण रहेगा, और

(*vi*) अपील अपीलार्थी अथवा इस निमित्त अपीलार्थी द्वारा लिखित रूप में-विधिवत् प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित रहेगी।

(ख) प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित कागज-पत्र रहेंगे--

(*i*) उस आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की गई है,

(*ii*) यथास्थिति अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा पारित आदेश के न विरुद्ध किए गए आवेदन की प्रतिलिपि अधीन दिए गए आवेद की प्रतिलिपि,

(*iii*) अपील से संबंधित कोई दस्तावेज, और

(*iv*) उप-नियम (3) में विहित फीस की अदायगी का संतोषजनक प्रमाण।

(ग) प्रत्येक अपीलार्थी बोर्ड द्वारा यथाविहित फीस अपील प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा और उसके लिए प्राप्त रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्येक अपील के साथ संलग्न कर देगा। पूर्वोक्त रसीद की प्रतिलिपि जिस अपील के साथ संलग्न नहीं होगी, उस अपील को अपील प्राधिकार विचारार्थ ग्रहण नहीं करेगा।

(घ) अपील का प्रत्येक ज्ञापन चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे या तो अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्त्ता स्वयं अपील प्राधिकार को पेश करेगा अथवा वह ऐसे प्राधिकार को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज देगा। जब अपीलार्थी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, तब इसके साथ उसे अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने संबंधी विधि द्वारा यथापेक्षित मूल्य के स्टाम्पित कागज पर लिखित एक प्राधिकार-पत्र संलग्न रहेगा।

(ङ) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकार इस पर यथास्थिति, उसके पेश करने अथवा डाक से प्राप्त होने की तारीख और इसे पेश करने वाले अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता का नाम पृष्ठांकित कर देगा।

35. धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन अपील पर कार्रवाई करने और उसका निपटाव करने के संबंध में प्राधिकार द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया—

(1) अपील प्राधिकार, अपने समक्ष अपील का ज्ञापन पेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और सुनवाई से पहले उसकी सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक और बीमाकृत तामील वापसी (सर्विस रिर्टन) द्वारा अपीलार्थी को भेज देगा जिसकी प्रतियां फारम (VIII) में रजिस्ट्रीकृत डाक से सदस्य-सचिव को भी भेजी जाएगी। सदस्य-सचिव को ऐसी सूचना देते समय अपील के ज्ञापन की एक प्रति उसके अनुलग्नकों के साथ सदस्य-सचिव को भी भेजी जाएगी और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपील से संबंधित मामले के सभी सुसंगत अभिलेख अपील प्राधिकार को भेज दें।

(2) यदि अभिलेख की सामग्री इतनी अपर्याप्त हो जिससे अपील प्राधिकार किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तो वह अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा और अपीलार्थी या सदस्य-सचिव से और ऐसी सामग्री की मांग कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझे। किन्तु ऐसी सामग्री तबतक उस अभिलेख का भाग नहीं होगी जबतक कि जिस पक्षकार से ऐसा अभिलेख प्राप्त किया गया है, उससे भिन्न पक्षकार को ऐसे अभिलेख में अन्तर्विष्ट ऐसी किसी बात को स्वयं देख लेने का अवसर न दिया गया हो जो उस पक्षकार के हितों के प्रतिकूल हो।

(3) यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अथवा किसी ऐसी तारीख को, जिस तारीख तक अपील की सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, अपील की सुनवाई आरम्भ होने पर अपीलार्थी या उसका विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता उपस्थित नहीं हो तो अपील खारिज कर दी जाएगी।

(4) निर्णय करने की रीति—अपील प्राधिकार का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।

(5) आदेश लिखित होगा---अपील पर अपील प्राधिकार द्वारा दिया गया आदेश लिखित होगा और आदेश में उसके सामने निर्णयार्थ बिन्दु, उसपर किया गया निर्णय और निर्णय के कारण स्पष्ट लिखे रहेंगे।

(6) अपील की अंतिम सुनवाई समाप्त होने पर निर्णय उसके 14 दिनों के भीतर सामान्यतः दे दिया जायेगा। यदि किसी कारणवश यथासमय निर्णय नहीं दिया जा सका तो अपील प्राधिकारी कारण उल्लेख करते हुए निर्णय की दूसरी तिथि निश्चित करेंगे जो पुनः चौदह दिनों से अधिक नहीं होगा।

(7) अपीलार्थी तथा बोर्ड को आदेश की प्रतिलिपि देना---अपील पर पारित आदेश की प्रतिलिपि अपील प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क दी जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि सदस्य-सचिव को भी भेजी जाएगी।

अध्याय 18

बोर्ड का बजट और लेखा

36. धारा 34 और 36 के अधीन बजट प्राक्कलनों और लेखा का फारम---बजट और लेखा उसी फारम में और उसी समय के भीतर तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा जैसा कि अनुसूची 1 में प्रपत्र है।

अध्याय 19

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

37. धारा 35 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का फारम पिछले वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्यकलापों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए विगत वर्ष से सम्बन्धित रिपोर्ट उसी रूप में होगी जैसा कि अनुसूची 1 में दिया गया है।

अध्याय 20

धारा 51 के अधीन रखे जानेवाले रजिस्टर में दिए जाने वाले ब्योरे

38. सहमति रजिस्टर---बोर्ड फारम 6 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उस औद्योगिक संयंत्र (प्लान्ट) के ब्योरे दिए रहेंगे जिसे धारा 21 के अधीन सहमति दी गई है।

(वन एवं पर्या-6/83)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-1

फारम-I

अधिनियम की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन (इमिशन) के निमित्त सहमति देने के लिये आवेदन।

[देखें नियम 25 (1)]

....
............(1) क्षेत्र में, जो सरकारी गजट अधिसूचना सं०..........
में, अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित "वायु" प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र है उत्सर्जन के निमित्त सहमति देने के लिये आवेदन।

(i) उद्योग विनिर्दिष्ट अनुसूची..........................
(ii) (क) क्षेत्र कोड सं०............दिनांक..............
(ख) ग्रिड सं०...............दिनांक.............

प्रेषक,

....
....
....

सेवा में,
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना (बिहार)।

महोदय,
मैं।हम इसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन (2) ....द्वारा दखलकृत औद्योगिक प्लांट से उत्सर्जन करने की सहमति के लिए आवेदन करता हूं।करते हैं।

(3) मैं।हम यह भी घोषित करता हूं।करते हैं कि अनुबंध परिशिष्टों और नक्शे आदि में दी गई जानकारी मेरी।हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही है।

(4) मैं।हम इसके द्वारा निवेदन करता हूं।करते हैं कि उत्सर्जन के स्थल (प्वाइंट) अथवा उसकी मात्रा या प्रकार में परिवर्त्तन होने पर सहमति के लिए नया आवेदन किया जायगा और जबतक ऐसी सहमति नहीं मिल जाती, कोई भी परिवर्त्तन नहीं किया जाएगा।

(5) मैं।हमलोग इसके द्वारा करार करता हूं।करते हैं कि उत्सर्जन की सहमति प्राप्त अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद यदि उसे जारी रखने की आवश्यकता हुई तो मैं।हम उस तारीख के एक महीना पूर्व सहमति के नवीकरण के लिए बोर्ड के पास आवेदन प्रस्तुत करूंगा।करेंगे।

(6) मैं।हम० यह बचन देता हूं।देते हैं कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाने पर अपेक्षा के एक महीने के भीतर कोई भी अन्य जानकारी प्रस्तुत करूंगा।करेंगे।

(7) मैं।हम इसके साथ विहित सहमति आवेदन फीस मद्दे.......... रु० का मांग ड्राफ्ट अनुलग्न करता हूं।करते हैं।

अनुलग्नक: हस्ताक्षर....................

आवेदक का नाम...............

आवेदक का पता...............

फारम 1 का अनुबंध.

चिमनी	वर्तमान नई परिवर्तित

टिप्पणी--ऐसा कोई भी आवेदक जो जान-बूझकर गलत जानकारी देगा या उससे सम्बद्ध कोई जानकारी छिपाएगा, वह अधिनियम की धारा 38 (छ) के अधीन दंड का भागी होगा।

यह अनुबंध भरते समय जो मद आवेदक पर लागू नहीं होती हो उस मद के सामने वह "संबद्ध नहीं" लिख देगा।

---

1. अधिभोगी का पूरा नाम और पता ....

(क) परिसर के प्रभारी व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नम्बर टेलिफोन नं० ....

....

2. औद्योगिक प्लांट का पूरा नाम और पता	.... टेलीफोन नं० ....
3. उस भूमि।परिसर का राजस्व। नगर सर्वेक्षण सं० दें जिसके लिए आवेदन किया गया हो।	जिला........................ तालुका .... शहर .... गांव....................... नगर सर्वेक्षण सं०............. राजस्व सर्वेक्षण सं०........... क्षेत्रफल (हेक्टर में) ....
4. उस मास और वर्ष का उल्लेख करें जिसमें औद्योगिक प्लांट वास्तव में चालू किया गया अथवा जिसमें उसे चालू किए जाने का प्रस्ताव है अथवा उस मास और वर्ष का उल्लेख करें जिससे स्थानीय निकाय कार्य कर रहा है।	
5. उस सिविल।सैनिक प्रतिरक्षा। औद्योगिक इस्टेट आदि का उल्लेख करें जिसकी प्रशासनिक अधिकारिता के अन्तर्गत औद्योगिक प्लांट अवस्थित है।	समाहरणालय................. निगम .... नगरपालिका.................. ग्राम पंचायत................. छावनी (कंटोन्मेंट)।प्रतिरक्षा विभाग... .... पोर्ट ट्रस्ट.................. राज्य सरकार................ प्रतिषिद्ध क्षेत्र.............. केन्द्र-सरकार. .... एयर पोर्ट प्राधिकार........... अथवा कोई अन्य.............
5. (3) क्षेत्र की स्थलाकृतिक विशेषता दिखानेवाला मानचित्र संलग्न करें।	....
6. औसत समुद्री सतह से ऊंचाई	....

7. भूमि का वर्तमान उपयोग ..	कृषि वन चारागाह बस्ती परती
8. स्थल के चारों ओर की स्थलाकृति के स्वरूप का उल्लेख करें।	मैदान घाटी पहाड़ी नदी घाटी तटवर्ती मुहाना स्थलरुद्ध
9. (क) यह बताएं कि औद्योगिक (प्लांट) प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है या नहीं।	
(ख) यदि हां, तो प्राधिकारी का नाम लिखें और उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें जिसके अधीन यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है।	....
10. स्थल के 20 कि०मी० के भीतर निम्नलिखित कौन-सी विशेषताएं मौजूद हैं।	यदि कोई आबाद बस्ती है तो जनसंख्या और प्लांट से दूरी का उल्लेख करें। .... यदि कृषि भूमि है तो फसलों का उल्लेख करें.......................... यदि चारागाह है तो उसका क्षेत्रफल और प्लांट से दूरी का उल्लेख करें। .... यदि मत्स्य क्षेत्र है, तो उसका ब्योरा दें। .... यदि वन।अभयारण्य (सैंक्चुरि)।नेशनल पार्क।नाला।धारा।नदी।तालाब।झील।बांध।

मुहाना/समुद्र/पहाड़ी/पर्वत-श्रृंखला/उद्योग है तो ब्योरा दें ।

....

....

....

....

यदि प्राचीन स्मारक/पर्यटन क्षेत्र है, तो ब्योरा दें--

....

....

....

11. क्या कसलकार का औद्योगिक प्लांट रविवार/छुट्टी के दिन बन्द रहता है ? — हां/नहीं

12. औद्योगिक प्लांट प्रतिवर्ष किस-किस समय चालू रहता है ? — पूरा वर्ष

...........से............तक

...........से............तक

...........से............तक

...........से............तक

...........से............तक

13. मौसम-विज्ञान संबंधी आंकड़े— — प्रति वर्ष

(क) स्थल की जलवायु संबंधी स्थिति का उल्लेख करें । (जैसे, सूखी, अर्ध-सूखी आदि) ।

(ख) वृष्टि-पात (वर्षा), औसत वार्षिक मात्रा (रेंज) ।

(ग) तापमान, मौसमी उतार-चढ़ाव (रेंज) ।

(घ) वायु की औसत वार्षिक गति एवं दिशा

(ङ) आर्द्रता, सौर-विकिरण

नाम स्रोत परिमाण

14. टी/डे या केजी/डे में व्यवहृत कच्चा माल ।
15. टी/डे या केजी/डे में उत्पादन/उप-उत्पादन नष्ट सामग्री ।
16. पूर्ण फ्लो चार्ट, अनुबंध 1 के अनुसार वर्णन और रासायनिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए
17. टी/डे में ईंधन की खपत

ईंधन	कोयला	ईंधन तेल	डीजल	प्राकृतिक गैस	लकड़ी	अन्य
1. दैनिक खपत (टन में)						
2. तापजनक गुण (कैलोरिफिक वैलु)						
3. राख की मात्रा %						
4. गंधक की मात्रा %						
5. अन्य का उल्लेख करें ।						

18. भट्टियां (फर्नेस) क्यूपोला

हां................नहीं..........

(क) भट्टियों/क्यूपोलाओं की संख्या

(*i*) अधिष्ठापित (इन्स्टाल्ड)..........(*ii*) प्रयोग में......

(ख) अधिष्ठापन की तारीख...............
(ग) क्षमता (केपैसिटी)...............
(घ) किस प्रयोजन के लिए...............
(ङ) चट्टा (स्टैक) लगाने की तारीख.......

(1) ऊंचाई......
(2) व्यास.......
(3) तापमान.....
(4) प्रवाह दर.....

19. वाष्पित्र (ब्वायलर)

हां................नहीं...........

(क) वाष्पित्रों की संख्या

(1) अधिष्ठापित................(2) प्रयोग में........

(ख) किस्म
(ग) क्षमता
(घ) ईंधन लगाने (ठ० फ्युएल चार्जिंग) की विधि...........

(1) तेल/गैस वर्नर
(2) कर्षण द्वारा चार्ज करना (ग्रेट चार्ज) हाथ से/यंत्र से..........
(3) चूर्णित कोयला (पलवेंशइज्ड कोल) जो चार्ज करना........
(ङ) वाष्पित्रों में इस्तेमाल की गई ईंधन की मात्रा
(च) चट्टा (स्टैक) का आंकड़ा:
ऊंचाई..........
व्यास..........
तापमान..........
प्रवाह दर:..........

20. वायु-प्रदूषकों (एयर पोल्यूटेंट) के लिए उत्सर्जन नियंत्रण-उपस्कर:

मौजूद नहीं मौजूद प्रस्तावित

मौजूद / प्रस्तावित

(क) प्रदूषण नियंत्रण-उपस्कर (पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट) का स्वरूप....

(ख) क्षमता..........
(ग) दक्षता (एफिसियेंसी)..........
(घ) वायु प्रदूषण-नियंत्रण प्रणाली (सिस्टम) के ब्योरे

प्रस्तावित/मौजूद

(ङ) निम्नलिखित की विस्तृत विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन) दें—
चक्रवात (साइक्लोन), स्थिरवैद्युत अवक्षेपित्र (एलेक्ट्रीस्टैटिक प्रेसि-पिटेटर) मार्जक (स्क्रबर) थैला-फिल्टर बैग फिल्टर आदि।

(च) कोई अन्य उपलब्ध अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) सुविधाएं, यदि हों, तो उपलब्ध आंकड़े।

21. वायुमण्डलीय उत्सर्जन

चट्टा सं०.......... गैस की मात्रा.......... एम³3............ से संबद्ध चट्टा। ईंधन गैस तापमान .... चट्टा की ऊंचाई.......... (मीटर) ईंधन गैस का निर्गम वेग (एग्जिट वेलॉसिटी) मीटर

(क) ईंधन गैस-उत्सर्जन फ्युएल गैस एमिशन—

ईंधन का किस्म	ईंधन की मात्रा घंटा	एस	भस्म (ऐश)	ईंधन गैस का विवरण
				सं०।एस ओ-2।एच० सी। सी ओ० ब्योरे

(ख) प्रक्रिया-उत्सर्जन

एस० ओ०सी० ओ० सी० ओ० सं०		निकास गैस (वेंट गैस) का विवरण-मि० ग्रा०।मि०3		
		जल-कार्बन (हाइड्रोकार्बन)	विविक्त (पार्टिकूलेट)	अन्य विनिर्देश
2	2			

(ग) विविक्त (पार्टिकुलैट) का विश्लेषण— (1) (साइज बंटन) (साइज डिस्ट्रीब्यूशन)— (2) रासायनिक संघटन (केमिकल कम्पोजिशन)

22. ठोस कचरे (सॉलिड वेस्ट) हां.......... नहीं..........

(क) स्वरूप

(ख) मात्रा

(ग) निपटाव की विधि

23. ऊपर की मदों में नहीं दी जा सकनेवाली कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

24. जल की खपत

(क) मात्रा प्रति मास या दिन..........

(ख) स्रोत..........

25. अवशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) निकलता है ?

हां.......... नहीं..........

(क) मात्रा प्रति मास या दिन..........

(ख) निपटाव :—

नदी में नाला में नगरपालिका-नाली में

(ग) अवशिष्ट जल की अभिक्रिया (ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर)—

मौजूद नहीं मौजूद प्रस्तावित अप्रस्तावित

(घ) अवशिष्ट जल की विशेषताएं (यदि उपलब्ध हो)

	अभिक्रिया (ट्रीटमेंट)	अभिक्रिया के बाद
(1) बी० ओ० डी०	....	....
(2) सी० ओ० डी०	....	....
(3) ससपेंडेड सॉलिड	....	....
(4) हेवी मेटल (विनिर्दिष्ट करें)।	....	....
(5) विषाक्त रसायन (विनिर्दिष्ट करें)	....	....
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	....	....

26. (क) संवातन उपस्कर (विंटिलेशन इक्विपमेंट) द्वारा संचालित हवा की कुल मात्रा बताएं, साथ ही अधिष्ठापित । अधिष्ठापित किए जाने वाले उपस्कारों के आकार एवं संख्या बताए :--

(ख) निकास की अवस्थिति एवं आयाम:

(i) ईंधन गैस उत्सर्जन (फ्युएल गैस एमिशन)

ईंधन की किस्म	ईंधन की मात्रा।घंटा	एस	भस्म (ऐश)	ईंधन गैस का विश्लेषण			
				एन ओ एक्स	एस02	एच० सी० ओ ओ	विविक्त (पार्टिकुलेट)

(ii) प्रक्रिया उत्सर्जन (प्रोसेस एमिशन)

निकास गैस (वेंट गैस का विवरण मि० ग्रा०। मि० 3 में)

एस० ओ० 2	सी० ओ० 2	सी० ओ०	एन ओ एक्स	जल-कार्बन	विविक्त (पार्टिकुलेट)	अन्य का विनिर्देश करें।

( ) विविक्त का विश्लेषण (पर्टिकुलेटस) एनैलिसिस

(क) आकार

(ख) रासायनिक संघटन (कम्पोजिशन)

27. अन्य सुसंगत जानकारी, यदि कोई हो।

फारम-II

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, बिहार
निरीक्षण की नोटिस
[देखें नियम 26 (2)]

अध्यक्ष,

श्री·········· सदस्य-सचिव···············

श्री················

सं०················

ता०················

सेवा में,

···

···

आपको सूचित किया जाता है कि धारा 21 के अंतर्गत जांच के प्रयोजनार्थ; राज्य बोड के निम्नांकित पदाधिकारी, यथा—

(i) श्री················

(ii) श्री················

(iii) श्री················

तथा उन्हें सहायता करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति············ आपके औद्योगिक प्लांट की किसी प्रणाली, उसके या उससे संबंधित किसी पार्ट या पूर्जे का, जो प्रबंध के नियंत्रण में हो, ··············· तारीख (खों) को ···········बजे से··················बजे के बीच निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के लिए जो भी सुविधाएं वे मांगे, वे स्थल पर ही उपलब्ध करायी जाएं। यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य बोर्ड के कृत्यों के अधीन ऊपर वताई गई मांग को नहीं स्वीकार करना कार्य संपादन में बाधा मानी जाएगी; जो अधिनियम की धारा 37(i) के अधीन दण्डनीय है।

प्रति—सेवा में,

(1) बोर्ड के आदेश से,

(2) सदस्य-सचिव

(3)

फारम III

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, बिहार

नमूने का विश्लेषण कराने के इरादे की सूचना

(देखें नियम 29)

सेवा में;

....

....

आपको सूचित किया जाता है कि इरादा है कि आपके परिसर के वायु-उत्सर्जन (एयर एमिशन) के नमूने का विश्लेषण कराया जाय, और यह नमूना आज दिनांक .... 19 .... को* .... से लिया जा रहा है।

नमूना लेनेवाले व्यक्ति का नाम
और पदनाम।

(*) यहां चट्टा (स्टैक), चिमनी या अन्य उत्सर्जन का उल्लेख करें।

सेवा में;

....

....

....

फारम IV

राज्य बोर्ड विश्लेषक की रिपोर्ट

(देखें नियम 30)

रिपोर्ट संख्या..........

दिनांक...............

वायु (प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 26 की उप-धारा (3) क अधीन यथावत नियुक्त राज्य बोड विश्लेषक, मैं, (*i*)...... .... इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने दिनांक (*ii*)...............19.... को (*iii*)............ से .... का नमूना प्राप्त किया । नमूना विश्लेषण करने लायक हालत में था। इसकी रिपोट नीचे दी गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपर्युक्त नमूने का विश्लेषण दिनांक (*iv*)........................ को किया है। विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया जाता है :—

(*v*)..

....

....

प्राप्ति के समय सील, बन्धन और आधान (कंटेनर) की हालत निम्नलिखित थी :—

....

....

(हस्ताक्षर)
राज्य-बोर्ड विश्लेषक।

दिनांक...............19....को हस्ताक्षरित।

पता—

....

....

सेवा में,

....

....

(*i*) यहां राज्य बोर्ड विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।
(*ii*) यहां नमूने की प्राप्ति की तिथि लिखें।
(*iii*) यहां उस बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिनसे नमूना प्राप्त हुआ हो।
(*iv*) यहां विश्लेषण की तिथि लिखें।
(*v*) यहां विश्लेषण का ब्योरा दें और विश्लेषण प्रक्रिया का निर्देश करें। यदि स्थान यथेष्ट न हो तो ब्योरा अलग कागज पर दिया जा सकता है।

फारम V

सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट

(देखें नियम 31)

रिपोर्ट संख्या..........

दिनांक..............

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन यथावत नियुक्त सरकारी विश्लेषक मैं (*i*)........ .... यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने दिनांक (*ii*) ....19... को (*iii*)............. से .... का नमूना विश्लेषण करने के लिये प्राप्त किया। नमूना विश्लेषण करने लायक हालत में था।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपर्युक्त नमूने का विश्लेषण दिनांक (*iv*)......................... को किया है। विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया जाता है :—

(*v*)..
....

दिनांक ....19.... को हस्ताक्षरित।

पता..............

....

(हस्ताक्षर)
सरकारी विश्लेषक।

सेवा में,

....

....

(*i*) यहां सरकारी विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।

(*ii*) यहां नमूने की प्राप्ति की तिथि लिखें।

(*iii*) यहां उस बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ हो।

(*iv*) यहां विश्लेषण की तिथि लिखें।

(*v*) यहां विश्लेषण का ब्योरा दें और विश्लेषण-प्रक्रिया का निर्देश करें। यदि स्थान यथेष्ट न हो तो ब्योरा अलग कागज पर दिया जा सकता है।

फारम VI

(देखें नियम 38)

अधिनियम की धारा 21 के अधीन दी जानेवाली सहमति के संबंध में रखी जानेवाली पंजी का फारम नियम 38 के अधीन इस प्रकार का होगा—

1. सामान्य

(क) सहमति किन्हें दी गई :

(निगम, कम्पनी, सरकारी अभिकरण, फर्म आदि)

(ख) डाक का पता—

2. संयंत्र की अवस्थिति या सुविधाएं (अक्षांश और देशांतर 15 सेकेंड के निकटतम हों)

(क) निकटतम नगर जिला

(ख) अक्षांश देशांतर

(ग) क्या यह वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में अवस्थित है? हां।नहीं

यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र की पहचान —

3. संक्रिया या प्रक्रिया का प्रकार

(क) संक्रिया या प्रक्रिया का नाम

(ख) अनुसूची पहचान संख्या

4. सहमति का वर्गीकरण

	हां	नहीं
(क) प्रस्तावित		
(ख) अभी चालू		
(ग) वर्तमान उत्सर्जन स्रोत में परिवर्तन		
(घ) अवस्थिति में परिवर्तन		
(ङ) स्वामित्व में परिवर्तन		
(च) वर्तमान सहमति आदेश संख्या यदि हो		

5. कार्यान्वयन तिथियां

(क) प्रस्तावित उद्योगों की दशा में कार्यारम्भ की प्रत्याशित तिथि (तारीख) (मास) (वर्ष)

(ख) अधिष्ठापित होनेवाले वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर एवं उत्सर्जन—उपलब्ध मानक— (तारीख) (मास) (वर्ष)

6. उत्सर्जन-मानक

उत्सर्जन स्रोत संख्या (प्लाट मानचित्र से)	उत्सर्जित वायु प्रदूषण	उत्सर्जन-दर कि० ग्रा०।घंटा या मानक।सी
1	2	3

7. सहमति की शर्तें, यदि हों ।

फारम VII

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (सं० 14 1981) की धारा 31 के अधीन अपील का फारम ।

[देखें नियम 34(1)]

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (सं० 14, 1981) की धारा 31 के अधीन गठित अपील प्राधिकार (यहां प्राधिकारी के नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें)———————— के समक्ष ।

श्री .... (अपीलार्थी) का अपील-ज्ञापन

बनाम

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, बिहार (प्रत्यर्थी)

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अधीन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, बिहार द्वारा तारीख .... को पारित आदेश के विरुद्ध श्री................; निवास-स्थान................ जिला................ की अपील इस प्रकार है —

(1) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (सं० 14, 1981) की धारा 21/22 के अधीन अपीलार्थी को................ कम्पनी/निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति, आदि के संबंध में दिए गए सहमति-आदेश में उल्लिखित निम्न-लिखित शर्तों के अधीन सहमति दी गई है :—

(क) प्लांट/कम्पनी/निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम ;

(ख) स्थान ;

(ग) वार्ड सं० ;

(घ) पथ का नाम; और

(ङ) जिला

इसके साथ प्रश्नगत.......... की प्रति संलग्न की जाती है।

(2) इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करें)

(3) जिन कारणों के आधार पर अपीलार्थी यह अपील करना चाहता है, वे इस प्रकार हैं —

(यहां उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके आधार पर अपील की जाती है)।

1.
2.
3.

ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में, अपीलार्थी की विनम्र प्रार्थना है कि—

(क) आरोपित.......... अनुचित शर्त/शर्तें रद्द समझी जाए/जाएं या इसके/इनके स्थान में ऐसी अन्य शर्त/शर्तें रखी जाए। जाएं, जो उचित प्रतीत हों।

(ख) अनुसूचित शर्त/शर्तें निम्नलिखित रीति से परिवर्तित की जाए/जाएं

यहां उस रीति का उल्लेख करें जिसके अनुसार उन शर्तों का पुनरीक्षण किया जाएगा जिन पर आपत्ति की गई हैं।

इस अपील की फीस के रूप में........रु० का भुगतान कर दिया गया है। इसकी रसीद संख्या ....और तारीख......... है। इसके भुगतान के सबूत के रूप में प्रमाणीकृत प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी का हस्ताक्षर

(साफ बड़े अक्षरों में)

पेशा..............

तारीख................ पता.........

सत्यापन

मैं.................(अपीलार्थी का नाम), उपर्युक्त अपील-ज्ञापन का अपीलार्थी अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता, इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि उसमें की गई घोषणा, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर..............

नाम.....(साफ अक्षरों में)

पेशा...............

पता..............

तारीख.........................

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

फारम VIII

[देखें नियम 35 (*i*)]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 31(1) के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकार (यहां पर प्राधिकारी के नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें)

....

के समक्ष वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 के अधीन श्री...

(यहां अपीलार्थी का नाम और पता लिखें)

द्वारा दायर अपील संख्या ....198 के विषय में।

बिहार राज्य बनाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, बिहार।

प्रत्यर्थी

चूंकि श्री...

(यहां अपीलार्थी का नाम और पता लिखें)

ने अधिनियम की धारा 20, 21 और 22 के अधीन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ता०...............को पारित आदेश के विरुद्ध इस प्राधिकार के समक्ष अपील-ज्ञापन दायर किया है;

और चूंकि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (4) के अधीन इस प्राधिकार को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है;

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें।)

इसलिए आपको सूचना दी जाती है कि इस प्राधिकार ने पूर्वोक्त अपील की सुनवाई के लिए ता०......................नियत की है। सुनवाई पटना स्थित बोर्ड के कार्यालय में उक्त तारीख को............बजे पूर्वाह्न अपराह्न में होगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नियत तारीख को नियत समय और नियत स्थान पर स्वयं या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा इस प्राधिकार के समक्ष हाजिर होकर अपने मामले को स्पष्ट करें। आपको सूचना दी जाती है कि यदि आप प्राधिकार के संतोष के अनुरूप पर्याप्त कारण बताए बिना सुनवाई के दिन स्वयं या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा हाजिर नहीं होंगे तो अपील खारिज कर दी जायगी या एक पक्षीय विनिश्चय कर दिया जायगा।

अपीलीय प्राधिकार के हस्ताक्षर और मुहर सहित आज 198.........

..................के.............................के

.......................दिन को दिया गया।

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1034--लाइनो--867--200--रा०च० शर्मा।

1100=90